

अनुबन्ध- I

तारीख	कोल सेक्टर में मील के पत्थर
1972 एवं 1973	कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में किया गया था। प्रथम चरण (1972) में कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। द्वितीय चरण (1973) में गैर-कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कोयला खानों जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सका उनको निजी पट्टा धारकों द्वारा काम करने की अनुमति दी गई।
नवम्बर 1975	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एक धारक कम्पनी, कोयला मंत्रालय (एमओसी) के अधीन स्थापित की गई।
1976	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निजी पट्टा धारकों के साथ सभी खनन पट्टों को समाप्त कर दिया सिवाय उन आयरन और स्टील उत्पादकों के जिनको केप्टिव उपयोग के लिए अधिनियम द्वारा कोयला खनन जारी रखने की अनुमति थी।
14 जुलाई 1992	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1976 में निहित कोयले के केप्टिव खनन के लिए प्रावधानों को कार्यान्वित करने के क्रम में, कोयला शासी विधियों के प्रावधानों के तहत केप्टिव खनन एवं विकास हेतु कोयला ब्लॉकों के आबंटन में रूचि रखने वाले विभिन्न कम्पनियों द्वारा दिए गए आवेदनों पर विचार करने के लिए एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एमओसी द्वारा एक जाँच समिति गठित की गई थी। कई कोयला ब्लॉकों, जो सीआईएल और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड (एससीसीएल) के उत्पादन योजना में नहीं थे को सीआईएल/एससीसीएल के परामर्श से चिन्हित किए गए थे और 143 कोयला ब्लॉकों की एक सूची बनायी गई थी तथा एमओसी द्वारा बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सूचना हेतु वेबसाइट पर डाल दी गई।
जून 1993	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 1993 पारित किया गया जिसमें आयरन और स्टील उत्पादन के अतिरिक्त बिजली उत्पादन में लगे हुए भारतीय कम्पनियों को उनको केप्टिव उपयोग के लिए कोयला खनन की अनुमति दी गई। इसमें निजी कम्पनियों द्वारा पिट हेड पर खानों से प्राप्त कोयले के प्रक्षालन की भी अनुमति दी गई।
15 मार्च 1996	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में समर्थकारी प्रावधानों को समाविष्ट कर अन्त उपयोग के रूप में सीमेंट क्षेत्र को अधिसूचित किया गया था।

फरवरी 1997	कैबिनेट ने एक भारतीय कम्पनी द्वारा गैर-केप्टिव कोयला खनन अनुमति के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
24 अप्रैल 2000	वाणिज्यिक खनन हेतु कोयला खान आबंटन की मांग करने वाली भारतीय कम्पनियों के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक 2000 राज्यसभा में प्रस्तुत किया। इस विधेयक को ट्रेड यूनियनों जिन्होंने इसे अवैज्ञानिक खनन और श्रम शोषण के रूप में व्यक्त किया, के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा। यह विधेयक सभा में लंबित है।
28 दिसम्बर 2005	कोयला क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा श्री टी.एल शंकर अध्यक्ष उर्जा ग्रुप प्रशासनिक स्टाफ कालेज आफ इंडिया की अध्यक्षता में) कोयला क्षेत्र सुधार हेतु सात सदस्यों की विशेषज्ञ समिति गठित की गई और इनकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की गई।
फरवरी 2006	सरकार ने कोयला खानों (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के अंतर्गत अनुमत विद्युत, लोहा और इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्रों एवं अन्य उपयुक्त क्रियाकलापों में कम्पनियों द्वारा केप्टिव कोयला खनन के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी।
12 जुलाई 2007	कोल गैसीकरण (भूमिगत और सतह) और कोल द्रवीकरण के द्वारा प्राप्त सिंथेटिक गैस के उत्पादन को केप्टिव खनन के उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट अंत उपयोगों के रूप में अधिसूचित किया गया था।
17 अक्टूबर 2008	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) 1957 संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसमें उक्त अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए सभी खनिजों में प्रतिस्पर्धात्मक बोली लागू करने के प्रणाली पर विचार किया गया।
08 सितम्बर 2010	एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया गया था।
02 फरवरी 2012	एमओसी ने कोयला खान नियमावली 2012 का प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा नीलामी अधिसूचित किया।

अनुबंध-II

कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की मुख्य अनुशंसाएं (श्री टी.एल शंकर की अध्यक्षता में) 2005

कोयला मंत्रालय ने दिसम्बर 2004 को श्री टी.एल शंकर की अध्यक्षता में सात सदस्यों की एक समिति गठित की। विशेषज्ञ समिति को कोयला क्षेत्र के आधुनिकीकरण करने के लिए विस्तृत रोड मैप तैयार करना था। समिति ने दिसम्बर 2005 में रिपोर्ट का भाग-I प्रस्तुत की जिसमें तत्काल प्रासंगिकता अर्थात् कम से मध्यम अवधि (2011-12) के मामले को मूलरूप से मामले को कवर किया गया था। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा ने इस संबंध में कोयला मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ विशेषज्ञ समिति के अनुशंसाएं पर विचार किया है। अनुशंसाएं की मुख्य विशेषताएं निम्नांकित हैं:

- भारतीय कोयला उद्योग में कीमत का विनियमन सहित आवश्यक आपूर्ति विकल्प के रूप में आयात विकल्प कार्य को रखना जो अन्य उपभाक्ताओं की आवश्यकताओं के लिए आपूर्ति करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और पारदर्शी कोयला बाजार की अनुमति देते समय विद्युत उत्पादन के लिए कोयला की कम लागत आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा।
- रेलवे को मुख्य कोरिडोरों जिसके द्वारा विद्युत संयंत्रों में अधिक मात्रा में कोयला जायेगा को सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग और कोयला एवं विद्युत मंत्रालय से परामर्श लेना चाहिए और कोयला परिवहन के लिए लागत और समर्पित ट्रंक मार्गों का गठन करने के लिए व्यवहार्यता की जाँच करनी चाहिए।
- संगठन जिसके पास कोयले की आयात करने का लम्बे अनुभव हो को कम अवधि की आपूर्ति प्रबंधन कार्यक्रम को कार्यान्वयन में सह-विकल्प दिया जाना चाहिए।
- सीआईएल के उन्नयन की स्थिति ।
- कम से मध्यम अवधि में कोयला उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से अंशदान करने के लिए आंतरिक खनन की भूमिका पर बल ।
- कोयला ब्लॉकों के आबंटन की पद्धति और प्रक्रियाएं को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से आंतरिक कोयला ब्लॉकों के आबंटन को शीघ्रता से सुधार करने की आवश्यकता है।
- आंतरिक खनन के लिए रिजर्वों के अनुमानित और निर्दिष्ट श्रेणियों सहित कोयला ब्लॉकों को मुक्त करना जिससे कम से मध्यम अवधि में कोयला खनन में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करने का लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं हो पायगा।
- खान विकास के दौरान अथवा खान परिचालनों के दौरान आवधिक अधिशेषों को कोयले की उसी मात्रा के लिए प्लस बैंड या सीआईएल के घटाव 10 प्रतिशत सहित समझौता कीमत पर सीआईएल/एससीसीएल को बेचना चाहिए।
- अधिकांश मामले में संबंधित राज्य सरकार से भूमि और खनन पट्टा के लिए पर्यावरणीय अनुमति, स्वीकृति प्राप्त करने और उसके पश्चात् भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में मुख्य विलम्ब होता है। कोयला मंत्रालय को स्वीकृति और राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा

अनुमति का मानीटर करने में सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। सचिवों के अधिकार प्राप्त उच्च स्तरीय समिति का गठन चार से छः महीने की समय सीमा के अन्दर पर्यावरण अनुमति को लागू करने के लिए विचार के उद्देश्य से किया जाना चाहिए।

- बैंक गारंटी जमा करना जिसमें से 50 प्रतिशत गारंटीकृत उत्पादन से और 50 प्रतिशत अंत उपयोग परियोजनाओं के गठन से संबंधित हो।
- ऐसे मामले में उत्पादन के लिए आबंटित खानों को लाने और अंत उपयोग संयंत्रों का गठन करने और बीजी का नकदीकरण करने में यदि आबंटी विफल होता है तो पहले जारी किए गए लाइसेंसों को रद्द करने के लिए विधिक उपाय।
- देश के अंदर और बाहर सभी प्रख्यात एजेंसियों को शामिल कर 3 लाख मीटर प्रतिवर्ष से कम से कम 15 लाख मीटर प्रतिवर्ष सीएमपीडीआईएल की ड्रिलिंग क्षमता को बढ़ाकर "साबित" श्रेणी रिजर्वों को बढ़ाने के लक्ष्य पर XIवीं योजना में विस्तृत अन्वेषण और ड्रिलिंग का कार्यक्रम लंच करना।
- आरम्भ में घरेलू उत्पादन का न्यूनतम 10 प्रतिशत के लिए ई-निलामी बिक्री और उसके पश्चात् तीसरे वर्ष तक 20 प्रतिशत और 5 से 7 वर्ष की अवधि में 30 प्रतिशत तक पहुँच।
- सीआईएल ब्लॉकों को अनारक्षण करना जिसे 2026-27 के पहले उत्पादन में नहीं लाया जा सकता है।
- रेलवे, कोयला और विद्युत मंत्रालय को एफएसटीए के अच्छी तरह से कल्पित मॉडल को तैयार करने के लिए साथ-साथ काम करना चाहिए। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों एफएसटीए को स्वीकार करते हैं और इनके प्रावधानों के अनुसार निष्पादन करते हैं।
- घरेलू कोयला उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आपातकालिन उत्पादन योजना सहित सीआईएल के उत्पादन संयंत्रों को पूर्णतया कार्यान्वित करने के लिए XIवीं योजना के अंत तक सभी परियोजनाओं की अनुमति और परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति को मानीटर करने के लिए स्थायी विशेष कार्य बल का गठन को पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

अनुबंध-III निजी पाटियों को आबंटित ओपन कास्ट खान के मामले में निष्कर्षणीय रिजर्व

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	राज्य	ब्लॉक का नाम	उत्पादक/गैर उत्पादक	आबंटन की तिथि	सेक्टर	जीआर(100%) मिलियन टन में	क्या एम-पी उपलब्ध है (हां/नहीं)	निष्कर्षणीय रिजर्व (ईआर)- (मिलियन टन में)	वास्तविक पर निष्कर्षणीय रिजर्व (जहां एमपी उपलब्ध है, जीआर का 73 प्रतिशत जहां एमपी उपलब्ध नहीं है) (मिलियन टन में)
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के
1	अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	झारखंड	i) बिदा	गैर उत्पादक	26 मई 05	संज आयन		नहीं		
2	अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	झारखंड	ii) सासाई	गैर उत्पादक	26 मई-05	संज आयन	77.000	नहीं		56.210
3	अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	झारखंड	iii) मेरल	गैर उत्पादक	26 मई-05	संज आयन		नहीं		
4	उषा मार्टिन लि.	झारखंड	लोहारी	गैर उत्पादक	24 अगस्त 05	स्टील	11.765	हाँ	9.045	9.045
5	नीलाचल आयन एण्ड पावर जेनरेशन तथा बचरांग इस्पात	झारखंड	डुमरी (अन्वेषित)	गैर उत्पादक	13 जन. -06	संज आयन	55.988	हाँ	40.854	40.854
6	भूषण स्टील एण्ड स्ट्रिप्स लि. एण्ड अदर्स	ओडिसा	न्यू पत्रपारा	गैर उत्पादक	13 जन-06	संज आयन	433.000	नहीं		316.090
7	इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग एण्ड अदर्स	झारखंड	नार्थ धादू	गैर उत्पादक	13 जन-06	संज आयन स्टील	923.945	हाँ	340.054	340.054
8	एस्सार पॉवर लि. एण्ड हिडलको	मध्य प्रदेश	माहान	गैर उत्पादक	12 अप्रैल 06	पावर	144.208	हाँ	121.958	121.958
9	रूंटा माईन्स लि.	झारखंड	बुंदु	गैर उत्पादक	25 अप्रैल 06	संज आयन	102.268	हाँ	32.167	32.167
10	रूंटा माईन्स लि. एण्ड अदर्स	ओडिसा	राधिकापुर वेस्ट	गैर उत्पादक	25 अप्रैल 06	संज आयन	288.440	नहीं		210.561

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	राज्य	ब्लॉक का नाम	उत्पादक/गैर उत्पादक	आबंटन की तिथि	सेक्टर	जीआर(100%) मिलियन टन में	क्या एम-पी उपलब्ध है (हां/नहीं)	निष्कर्षणीय रिजर्व (ईआर)- (मिलियन टन में)	वास्तविक पर निष्कर्षणीय रिजर्व (जहां एमपी उपलब्ध है, जीआर का 73 प्रतिशत जहां एमपी उपलब्ध नहीं है) (मिलियन टन में)
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के
11	एस्सार पावर जेनरेशन लि.	झारखंड	चकला	गैर उत्पादक	20 फर.-07	पावर	83.101	हाँ	71.140	71.140
12	जेएसपीएल	झारखंड	जितपुर	गैर उत्पादक	20 फर.-07	पावर	81.095	हाँ	65.535	65.535
13	हिंडलको एण्ड टाटा पावर लि.	झारखंड	दूबेड	गैर उत्पादक	1 अगस्त-07	पावर	189.823	हाँ	130.000	130.000
14	डी.बी. पावर लि.	छत्तीसगढ़	दुर्गापुर II /सरिया	गैर उत्पादक	6 नव.-07	पावर	91.672	नहीं	140.000	66.921
15	अदानी पावर लि.	महाराष्ट्र	लोहाया वेस्ट एक्सटेंशन	गैर उत्पादक	6 नव.-07	पावर	169.832	हाँ	140.000	140.000
16	सीईएससी लि. एण्ड जेएस इंड्रोस्ट्रक्चर	झारखंड	माहुआगढ़ी	गैर उत्पादक	9 जन-08	पावर	220.000	नहीं	160.600	160.600
17	मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लि; टाटा पावर एण्ड जिन्दल फोटो लि.	ओडिसा	मंदाकिनी-ए	गैर उत्पादक	9-जन-08	पावर	322.796	हाँ	287.886	287.886
18	जेएसपीएल एण्ड गगन स्पंज आयरन लि.	झारखंड	अमरकोण्ड मुगादंगल	गैर उत्पादक	17-जन-08	पावर	410.000	नहीं	299.300	299.300
19	एसकेएस इस्पात एण्ड पावर लि. एण्ड प्रकाश इंडस्ट्रीज	छत्तीसगढ़	फतेहपुर	गैर उत्पादक	6-फर-08	पावर	120.000	नहीं	87.600	87.600

निष्पादन लेखापरीक्षा
कोयला ब्लॉकों का आबंटन और कोयला उत्पादन के संवर्धन

20	रूटा माइन्स लि. एण्ड सनफ्लेग आयर्स एण्ड स्टील लि.	झारखंड	चोरितंद तैलिया	गैर उत्पादक	14 मई-08	पिंग आयर्स	97.000	नहीं		70.810
21	जेएसडब्ल्यू स्टील लि. भूषण स्टील एण्ड पावर, जय बालाजी इण्डस्ट्रीज	झारखंड	रोहने	गैर उत्पादक	5 जून-08	स्टील	242.000	हाँ	191.000	191.000
22	मुकुंद लि. विनी आयर्स एण्ड स्टील उद्योग लि.	झारखंड	राजहारा नार्थ (सेन्ट्रल एण्ड इस्टर्न)	गैर उत्पादक	20 नव-08	स्टील	22.525	हाँ	15.609	15.609
23	स्टेटेजिक एनर्जी तकनीकी सिस्टम लि.	ओड़िशा	अरखपाल का नार्थ	गैर उत्पादक	27 फर-09	सीटीएल	1500.000	नहीं		1095.000
24	टाटा स्टील लि. एण्ड आधुनिक थर्मल एनर्जी लि.	झारखंड	गणेशपुर	गैर उत्पादक	28 मई-09	पावर	137.000	नहीं		100.010
25	हिमाचल ईएमटीए/जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	पश्चिम बंगाल	गौरांडीह एबीसी	गैर उत्पादक	10 जुलाई-09	पावर	129.150	हाँ	61.540	61.540
									कुल जोड़	3.969.890

अनुबंध - IV
निजी पार्टियों को आबंटित मिश्रित खदानों जहाँ खनन योजना उपलब्ध है, के मामले में निष्कर्षणीय रिजर्व

क्रमांक	कंपनी का नाम	राज्य	ब्लॉक का नाम	उत्पादक/गैर उत्पादक	आबंटन की तिथि	सेक्टर	जीआर (100%) मिलियन टन में	ओसी के लिए एमपी के अनुसार जीआर (मिलियन टन में)	एमपी के अनुसार वास्तविक पर निष्कर्षणीय रिजर्व (ईआर) (मिलियन टन में)
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे
26	जायसवाल नेको लिमिटेड	झारखंड	मोड़त्रा	गैर-उत्पादक	13-मई-05	स्टील	215.780	38.160	29.910
27	इलेक्ट्रोस्टील कार्स्टिंग्स लिमिटेड	झारखंड	पर्वतपुर ए से सी	उत्पादक	7-जुलाई-05	पिग आयरन	235.718	7.150	5.720
28	टाटा स्टील लिमिटेड	झारखंड	i) कोट्टे बसन्त-पुर	गैर-उत्पादक	11-अगस्त-05	स्टील	148.399	उ न	93.052
29	टाटा स्टील लिमिटेड	झारखंड	ii) पंचमों	गैर-उत्पादक	11-अगस्त-05	स्टील	101.992	80.418	61.276
30	कारपोरेट स्टील एवं एलॉयस लिमिटेड	झारखंड	चितरपुर	गैर-उत्पादक	2-सितम्बर-05	स्पंज आयरन	174.623	उ न	58.660
31	टापवर्थ ऊर्जा एवं मेटल्स लिमिटेड (पूर्व में श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड के रूप में जाना जाता है।)	महाराष्ट्र	मार्की मंगली-III	गैर-उत्पादक	6-सितम्बर-05	स्पंज आयरन	6.190	उ न	4.200
32	टापवर्थ ऊर्जा एवं मेटल्स लिमिटेड (पूर्व में श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड के रूप में जाना जाता है।)	महाराष्ट्र	मार्की मंगली-II	गैर-उत्पादक	6-सितम्बर-05	स्पंज आयरन	11.540	उ न	6.730
33	टापवर्थ ऊर्जा एवं मेटल्स लिमिटेड (पूर्व में श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड के रूप में जाना जाता है।)	महाराष्ट्र	मार्की मंगली-IV	गैर-उत्पादक	6-सितम्बर-05	स्पंज आयरन	4.890	उ न	3.035
34	भूषण पावर एवं स्टील लिमिटेड	ओडिशा	बिजहान (अनवैधित ब्लॉक)	गैर-उत्पादक	13-जनवरी-06	स्पंज आयरन	327.046	185.113	161.200

निष्पादन लेखापरीक्षा
कोयला ब्लॉकों का आबंटन और कोयला उत्पादन के संवर्धन

35	जेएसपीएल एण्ड नला स्पंज आयसन लिमिटेड	छत्तीसगढ़	गरे पल्मा IV/6	गैर-उत्पादक	13-जनवरी-06	स्पंज आयसन	158.097	73.985	66.371
36	जायसवाल नेको लिमिटेड	छत्तीसगढ़	गरे पल्मा IV/8	गैर-उत्पादक	13-जनवरी-06	स्टील	107.204	14.819	11.750
37	अल्ट्राटेक एण्ड अदर्स	छत्तीसगढ़	मदनपुर नार्थ	गैर-उत्पादक	13-जनवरी-06	पावर स्पंज आयसन	213.460	113.820	94.960
38	मदनपुर साउथ (जेवीसी आफ हिंदुस्तान पिक लिमिटेड)	छत्तीसगढ़	मदनपुर साउथ	गैर-उत्पादक	13-जनवरी-06	पावर स्पंज आयसन	180.490	146.170	115.740
39	छत्तीसगढ़ कैटिव कोल माइनिंग लि. (जेवीसी आफ इस्पात गोदावरी एण्ड अदर्स)	छत्तीसगढ़	नाकिया I	गैर-उत्पादक	13-जनवरी-06	स्पंज आयसन			
40	छत्तीसगढ़ कैटिव कोल कम्पनी लि. (जेवीसी आफ इस्पात गोदावरी एण्ड अदर्स)	छत्तीसगढ़	नाकिया II	गैर-उत्पादक	13-जनवरी-06	स्पंज आयसन	359.850	105.030	98.320
41	टाटा स्पंज एण्ड अदर्स	ओडीसा	राधिकानुर पूर्व	गैर-उत्पादक	7-फरवरी-06	स्पंज आयसन	183.429	172.083	105.240
42	बाल्को	छत्तीसगढ़	दुर्गापुर II /तारमार	गैर-उत्पादक	6-नवम्बर-07	पावर	211.366	96.990	70.120
43	सोवा इस्पात एण्ड जय बालाजी स्पंज लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	अर्धग्राम	गैर-उत्पादक	6दिसम्बर-07	स्पंज आयसन	25.600	2.143	1.863
44	बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड	मध्य प्रदेश	बिक्रम	गैर-उत्पादक	12-अगस्त-08	सीमेंट	20.975	4.655	3.758
45	इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड, ग्रैसिम इण्डस्ट्रीज	छत्तीसगढ़	भास्करपारा	गैर-उत्पादक	21-नवम्बर-08	स्पंज आयसन	46.910	उ न	18.670
							कुल		1010.575

अनुबंध - V
निजी पार्टियों को आबंटित मिश्रित खदानों जहाँ खनन योजना उपलब्ध नहीं है, के मामले में निष्कर्षणीय रिजर्व

क्रमांक	कंपनी का नाम	राज्य	ब्लॉक का नाम	उत्पादक/गैर - उत्पादक	आबंटन की तिथि	सेक्टर	जीआर (100%) मिलियन टन में	जीआर का 37 % पर निष्कर्षणीय रिजर्व (मिलियन टन में)
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई =एच*37/100
46	डोमकों स्मोकलेस फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड	झारखंड	लालगाढ़ नार्थ	गैर उत्पादक	8-जुलाई-05	पिग आयरन	27.088	10.023
47	एस्सार पावर लिमिटेड	झारखंड	अशोक करकता सेट्रल	गैर उत्पादक	6-नवम्बर-07	पावर	110.000	40.700
48	भूषण पावर एण्ड स्टील लिमिटेड	झारखंड	पाटल ईस्ट	गैर उत्पादक	6-नवम्बर-07	पावर	200.000	74.000
49	एईएस छत्तीसगढ़ एनर्जी प्राइवेट-लिमिटेड	छत्तीसगढ़	सायंग	गैर उत्पादक	6-नवम्बर-07	पावर	150.000	55.500
50	ऑर्सेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड एण्ड जीवीके पावर्स (जी. साहिब)	झारखंड	सेरेगाढ़	गैर उत्पादक	9-जनवरी-08	पावर	150.000	55.500
51	स्टर्लाइट एनर्जी, जीएमआर एनर्जी, आर्सेलर मित्तल इंडिया लि., लैंको ग्रुप, नवभारत पावर (आईपीपी), रिलायंस एनर्जी	ओडिसा	राम्पिया डिय साइड	गैर उत्पादक	17-जनवरी-08	पावर	645.235	238.737
52	स्टर्लाइट एनर्जी, जीएमआर एनर्जी, आर्सेलर मित्तल इंडिया लि., लैंको ग्रुप, नवभारत पावर (आईपीपी), रिलायंस एनर्जी	ओडिसा	शेम्पिया	गैर उत्पादक	17-जनवरी-08	पावर		

निष्पादन लेखापरीक्षा
कोयला ब्लॉकों का आबंटन और कोयला उत्पादन के संवर्धन

53	जेएलडी यावतमाल एनर्जी, आरकेएम पावरागं, वन्दना विद्युत, वीसा पावर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर	छत्तीसगढ़	फतेहपुर ईस्ट	गैर उत्पादक	23-जनवरी-08	पावर	500.000	185.000
54	बिहार स्पंज आयसन कंपनी लिमिटेड	झारखंड	माचेशकुण्डा	गैर उत्पादक	5-अगस्त-08	स्पंज आयसन	23.860	8.828
55	जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड	ओडिशा	रामचण्डी प्रमोशनल ब्लॉक	गैर उत्पादक	27-फरवरी-09	सीटीएल	1500.000	555.000
56	रून्टा माइन्स लिमिटेड/कोहिनूर स्टील प्राइवेट लिमिटेड	झारखंड	मेदनीराय	गैर उत्पादक	28-मई-09	पावर एण्ड स्पंज आयसन	80.830	29.907
57	आईएसटी स्टील एण्ड पावर, गुजरात अंजुजा सीमेंट्स, लाफर्न इंडिया लिमिटेड	छत्तीसगढ़	दहेगौव मकरखोकरा	गैर उत्पादक	17-जनवरी-09	स्टील/ सीमेंट/ सीमेंट	132.000	48.840
							कुल	1,302.035

! मिश्रित खानों जहाँ खान योजनाएं उपलब्ध थे के निष्कर्षणीय औसी रिजर्वों की औसत पात्रा पर आधारित 37% तैयार किया गया है।

